प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 01.04.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की सक्रियता से गुमशुदा व्यक्ति को किया गया बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

दिनाँक 29.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद के चौकी मगहर पर काजीपुर वार्ड नं0 12 मोहल्ला के एक व्यक्ति के बिना बताये घर से कहीं चले जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुयी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल व्यक्ति के तलाश हेतु विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया एवं तलाश किया गया, जनसहयोग से लापता व्यक्ति दिनाँक 31/03/2026 को रात्रि 10:00 बजे खलीलाबाद में मिले। जिनको बरामद कर सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

बरामदगी टीम का विवरणः- उ0नि0 श्री विनोद यादव चौकी प्रभारी मगहर, हे0का0 करमचन्द।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7668 द्वारा दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर मारपीट / विवाद में घायल 06 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 7668 पर थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बेलवसिया से कालर द्वारा दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में दोनों पक्षों के घायल 06 व्यक्ति (पुरुष एवं महिला) (01.अंगद पुत्र कृष्णचन्द 02.सतीश चन्द पुत्र रम्पत 03.मीरा पत्नी सतीशचन्द 04.इमिरता देवी पत्नी चन्दू 05.बन्धू पुत्र निर्मल 06.कंचन पुत्री चन्दू निवासीगण ग्राम बेलवसिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 विजय प्रताप यादव, हो0गा0चा0 संतराम।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 195 वाहनों से 2,12,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 01.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 195 वाहनों से 2,12,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 184/2026 धारा 137(2),87, 64(1) बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त नाम पता शिवांश तिवारी पुत्र स्व0 चन्द्रभुषण तिवारी ग्राम परसहर पश्चिमी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को उमरिया चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 01.04.2026 को थाना धनघटा पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 01.04.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, का0 रविन्द्र निषाद।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1250 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 01.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1250 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक श्री सदानन्द पाण्डेय थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त मो0 अरशद पुत्र मंजूर अली निवासी मोहम्मदपुर कटार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 08 अदद गोवंशीय पशु बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री लल्लन राय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 716/2016 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 अरशद उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1250 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

आज दिनांक 01.04.2026 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री मुथा अशोक जैन*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री संजीव त्यागी*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के नेतृत्व में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980(एनएसए) के अन्तर्गत 17 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को किया गया निरुद्ध

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पुलिस द्वारा मु0अ0स0 956/2025 धारा 137(2),64(1),123 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त बदरे आलम उर्फ बादल पुत्र मो0 अकरम खान निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को खलीलाबाद आयुष्मान आरोग्य केंद्र, रौरापार के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.10.2025 को वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 18.10.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल पर थाना कोतवाली खलीलाबाद व अन्य थाने की पुलिस ड्यूटी पर कई दिनों तक तैनात रही। घटनास्थल का उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया था व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया था। इस घटना को लेकर ग्राम मड़या व आस पास के गांव में लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी थी। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 19.10.2025 को उक्त अभियुक्त को जेल भेजा गया था। अभियुक्त जमानत कराने के लिए प्रयासरत था। अभियुक्त को दिनांक 30.03.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (एनएसए) की कार्यवाही करते हुए निरुद्ध किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 01.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक श्री सारनाथ सिंह थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त तैआव अली पुत्र इस्तिखार निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 01 अदद गोवंशीय पशु व चमड़ा बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री सूर्य प्रसाद गौतम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 313/2004 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त तैयाव अली उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 01.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामआशीष यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा अभियुक्त हैदर अली पुत्र सूब्बा बंजारा निवासी बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 16 अदद गोवंशीय पशु बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री जयसिंह यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1105/2003 धारा 3/8 सीएस एक्ट व धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त हैदर अली उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।